

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र० 1455/15

संस्थित दिनांक-31.12.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

1. दामो उर्फ दामोदर पुत्र भागीरथ बाथम आयु 36 साल
2. प्रेमसिं उर्फ पिंजी पुत्र भागीरथ बाथम आयु 26 साल
3. शंकर पुत्र भागीरथ बाथम आयु 24 साल
4. पवन पुत्र ओमप्रकाश बाथम आयु 24 साल
5. धर्मेन्द्र पुत्र बाबूराम बाथम आयु 26 साल
6. विमलेश पुत्र शंकर बाथम आयु 37 साल

समस्त निवासीगण पंचमपुर वार्ड क्र० 2 गोहद

जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्तगण

—:: निर्णय ::—

**{आज दिनांक 14.10.2017 को घोषित}**

अभियुक्तगण पर मत्सय क्षेत्र संशोधन अधिनियम 1981 (जिसे अत्र पश्चात "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 3 (3) के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 19.06.14 को करीब 7 बजे या उसके लगभग आरक्षी केंद्र गोहद अंतर्गत गोहद बेसली जलाशय पर मछली पालन एवं संवर्द्धन के लिए प्रयुक्त जलाशय में मछली मारने के आशय से पानी में जहर डालकर मछली मारी।

2. प्रकरण में यह तथ्य स्वीकृत व उल्लेखनीय है कि आहत का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के कारण प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध संहिता की धारा 294, 323 सहपठित 149, 506 भाग दो के संबंध में आरोप का उपशमन किया गया है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 19.06.14 को अध्यक्ष माझी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित मुन्नालाल द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उक्त दिनांक को सुबह 7 बजे उसने मौके पर अभियुक्तगण को जलाशय में जहर डालकर मछली मारते हुए पकड़ लिया और अभियुक्तगण झगड़े पर आमादा हो गए झूमा झटकी की और मछली मारने के उपकरण लेकर भाग गए और गाली गलौंच की। उक्त आशय की शिकायत से अप०क्र०

214/15 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तार पत्रक बनाए गए, बाद अनुसंधान अभियोगपत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्तगण को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्तगण दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण कराए जाने पर उनके निर्दोष होने व झूठे फंसाए जाने का बचाव लिया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1. क्या आरोपीगण ने दि० 19.06.14 को करीब 7 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत गोहद बेसली जलाशय पर मछली पालन एवं संवर्द्धन के लिए प्रयुक्त जलाशय में मछली मारने के आशय से पानी में जहर डालकर मछली मारी ?

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—**

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में विजयराम अ०सा० 1, मुन्नालाल अ०सा० 2 तहसीलदारसिंह अ०सा० 3, विजयसिंह अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्तगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है।

7. फरियादी मुन्नालाल अ०सा० 2 यह कथन करते हैं वे तीन साल पहले माझी मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित गोहद के अध्यक्ष थे। बेसली जलाशय में मछली पकड़ने का पट्टा उनकी संस्था के पक्ष में था जब वे घटना दिनांक को जलाशय बंधा पर गए तो कुछ मछलियां जाल में फंसी और मरी मिली, किन्ही अज्ञात लोगों ने जाल लगाया और उसके तथा अन्य लोगों के पहुंचने पर भाग गए। आस पास के लोगो से पूछा तो कुछ लोगों के नाम बताए जिनके नाम लिखकर उसने थाना प्रभारी गोहद को आवेदन प्र०पी० 2 दिया जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण को मछली मारते हुए पकड़ने और झगडा होने के संबंध में कोई कथन नहीं करता है। पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभिसाक्ष्य में अभियुक्तगण के द्वारा जलाशय में जहर डालकर मछली मारते हुए पकड़ने और रोकने पर झगडा पर आमादा हो जाने, गाली गलौच के तथ्य से इंकार करता है और स्वतः पुनः कथन करता है कि मछली पकड़ रहे लोगों में आरोपीगण नहीं थे। साक्षी इसके अलावा विजयराम व विजयसिंह के साथ जाना स्वीकार करता है किन्तु अभियुक्तगण की संलिप्तता के संबंध में लेखीय आवेदन प्र०पी० 2 में बी से बी भाग पर उनके नाम आसपास के लोगों से पूछकर लिख लेना बताते हैं। यह उल्लेखनीय है कि आसपास के लोगों के रूप में अभियोजन की ओर से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया।

8. विजयराम अ०सा० 1 तथा विजयसिंह अ०सा० 4 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बताए गए हैं जो उनके समक्ष किसी भी घटना के घटित होने के तथ्य से इंकार करते हैं साथ ही पुलिस को कोई भी

बयान दिए जाने से इंकार करते हैं। इस प्रकार से अभियुक्तगण के द्वारा अभिकथित रूप से दिनांक 19.06.14 को बेसली जलाशय में मछलियों को मारने के लिए जहर डाला गया हो अथवा जाल डाला गया हो, इस संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। तहसीलदारसिंह अ०सा० 3 विवेचक है जिनकी साक्ष्य औपचारिक प्रकृति की है। साक्षी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार करते हैं कि नक्शामौका फरियादी के कहे अनुसार बनाया था। उक्त नक्शामौका प्रपी० 4 में बेसली जलाशय अर्थात् बंधा दर्शित नहीं किया गया है। इस प्रकार से अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है।

9. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्तगण के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। प्रकरण में फरियादी एवं चक्षुदर्शी द्वारा अभियुक्तगण की संलिप्तता को प्रमाणित नहीं किया है। जहां तक लिखित रिपोर्ट प्र०पी० 2, पुलिस कथन क्रमशः प्रपी० 1, 5 तथा 11 का प्रश्न है तो वे सारवान साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आते उनका उपयोग साक्षियों के पूर्व कथन के रूप में संपुष्टि एवं विरोधाभास तथा लोप के संबंध में किया जा सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 19.06.14 को करीब 7 बजे या उसके लगभग आरक्षी केन्द्र गोहद अंतर्गत गोहद बेसली जलाशय पर मछली पालन एवं संवर्द्धन के लिए प्रयुक्त जलाशय में मछली मारने के आशय से पानी में जहर डालकर मछली मारी। अतः अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 3 (3) के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। संहिता की अन्य धाराओं के आरोप के संबंध में राजीनामा का प्रभाव दोषमुक्ति का होगा।

10. अभियुक्तगण के जमानत भारमुक्त की जाती है, निवेदन पर मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

10. प्रकरण में जब्त संपत्ति कुछ नहीं।

11. अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश